



## लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

A++ प्रत्यायन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था  
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)  
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

**Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior**

A++ NAAC Accredited Deemed to be University  
(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)  
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports



No. *AK/9A/24-25/14/01*

Date: 04.04.2024

### Office Order

*05/4/24*

Presently the Travelling Allowance bills for Tour/Transfer and LTC are being prepared on old format.

Now in terms of provisions of Receipts and Payment Rules formats of bill for Travelling Allowance for Tour/Transfer/LTC have been revised as per Annexure 'A'.

Teaching & Non-Teaching staff of the Institute are hereby advised to submit their bills for T.A. for Tour/Transfer/LTC in the revised formats from April 2024 onwards.

(Authority : Officiating Vice Chancellor order dated 26.03.2024)

*Sanjeev Yadav*  
(Dr. Sanjeev Yadav)  
I/c Registrar  
*Royan*

Copy to:-

1. Vice Chancellor Secretariat
2. Registrar Secretariat
3. Finance officer
4. All Head of the Departments
5. Deputy Registrar (Estate/Legal)
6. Deputy Registrar (Establishment)
7. Internal Audit Group
8. Drawing and Disbursing officer
9. Account Section
10. I.T. Section (for uploading on the site of Institute)
11. All Staff
12. Concerning file
13. Office order file – Notice Board

## लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर



A++ प्रत्यायन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था  
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)  
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

**Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior**

A++ NAAC Accredited Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports



क्रमांक: A/C-13A/24-25/14/ 12 (H)

दिनांक: 04.04.2024

### कार्यालय आदेश

05/4/24

संस्था में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारियों, संविदा आधारित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि यह आदेश जारी होने की दिनांक से यात्रा दावे, अवकाश रियायत दावे, स्थानांतरण दावे संलग्न नवीन प्रपत्रों में प्रस्तुत किये जावें। कार्यालय आदेश जारी होने की दिनांक से संलग्न प्रपत्रों के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में (पुराने प्रपत्रों में) उक्त दावे स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

(प्राधिकार: कार्यवाहक कुलपति महोदया का अनुमोदन दिनांक 26.03.2024)

(डॉ. संजीव यादव)  
प्रभारी कुलसचिव

शजीव

प्रतिलिपि—

1. कुलपति सचिवालय
2. कुलसचिव सचिवालय
3. वित्त अधिकारी
4. सभी विभागाध्यक्ष
5. उपकुलसचिव (संपदा/विधि)
6. उपकुलसचिव (स्थापना)
7. आंतरिक लेखा विभाग
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी
9. लेखा अनुभाग
10. आई.टी. विभाग (प्रारूप संस्थान की साइट पर अपलोड करने हेतु)
11. समस्त स्टाफ
12. संबंधित पंजी
13. कार्यालय आदेश पंजी – सूचना पटल